फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री सतीश चन्द्र पालीवाल निवासी शुगर फेक्ट्री के पास चारभुजा, तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 34/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 20.08.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक एफ.1( )सू0अ0,05/2019/564–565 दिनांक 29.07.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/ अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2019 का सूचना का अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 27.05.2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना तहसीलदार, राजसमन्द की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकःप.1( )सू0अ0.05/2019/411–12 दिनांक 27.05.2019 को प्रेषित किया गया। प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय/अनुभाग को प्राप्त हुआ आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना अन्य विभाग की होने से उसी दिन संबंधित विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(I)(II) के तहत अन्तरण कर भिजवाया गया तथा प्रार्थी अपीलार्थी को भी सूचित किया गया हैं। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द के पत्रांक भू.अ./सू.अ./2019/1148 दिनांक 07.08.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु धारा 6(1) के अर्न्तगत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु सं0 3(क) से नगर परिषद राजसमन्द क्षैत्र का सम्पूर्ण नक्शा ट्रेस वर्तमान आराजी सहित एवं 1947 से पूर्व का नक्शा ट्रेस आराजी नम्बर सहित की सत्यापित प्रति चाही गई। इस सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपि जारी करने हेतु राजस्थान लैण्ड रेकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 28 में प्रतिलिपि शुल्क के नियम प्रतिपादित किये गये हैं। जिसके अनुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त की जा सकती हैं। अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा	

M

नियमानुसार प्रति 10 खसरा पर 20/– रूपये प्रतिलिपि शुल्क के हिसाब से नगर परिषद राजसमन्द के कुल 11 राजस्व ग्रामो के नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि शुल्क 34800/– रूपये कॉपिंग टिकिट जमा कराने हेतु लिखा गया था। किन्तु अपीलार्थी ने नियमानुसार शुल्क जमा नही कराया व केवल 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर क्रमांक 41 एफ 094849 ही आवेदन के साथ लगाया गया था। अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा नही कराने के कारण सूचना उपलब्ध नही कराई गई। एवं बिन्दु सं0 3 क – 1947 के पूर्व का नक्शा ट्रेस वर्तमान आराजी सहित प्रति चाही जा रही हैं जो इस तहसील में उपलब्ध न होकर जिला कार्यालय राजसमन्द की भू अभिलेख शाखा से संबंधित होने से वहाँ से सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को दिनांक 20.06.19 को सूचित किया गया।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक – प.20(84)प्र.सु./सुअ.प्र./2009 पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.18 में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजो की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फिस लेने के सम्बन्ध में अधिनियम– 2005 के प्रावधान लागू न होकर, उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होगें, परिपत्र की छाया प्रति साथ संलगन हैं। उक्त सूचना के क्रम में सूचना आयोग जयपुर की अपील संख्या 317/2016 श्री राधेश्याम बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अलवर (राजस्थान) के ऑर्डर शीट पर किये गये निर्णय की छाया प्रति संलग्न हैं।

बिन्दु सं 03 (ख) में चाही जा रही सूचना राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्र क्रमांक – राम/रीट/1536/03/2789–2820 दिनांक 19.09.2017 की अनुपालना में नगर परिषद राजसमन्द क्षैत्र में की गयी कार्यवाही की सत्यापित प्रतियॉ उक्त पत्र में वर्णित बिन्दु सं0 1 से 5 तक की सत्यापित प्रतियॉ चाही गयी थी के संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 20.06.2019 को लिखित में सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही सूचना प्रश्नवाचक है एवं चाही जा रही सूचना का दिनांक व पत्र क्रमांक इस कार्यालय को लिखा जावें। किन्तु अपीलार्थी ने आजतक चाही जा रही सूचना के संबंध में सूचित करने के पश्चात कोई पत्र व्यवहार नही किया। इस कारण सूचना तैयार नही की गयी।

इस प्रकार प्रत्यर्थी ने श्रीमान के नोटिस के संअर्भ में अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक – 878/20.06.19 से नियमानुसार शुल्क की एवज में कॉपिंग टिकिट जमा कराने एवं सन 1947 के पूर्व का नक्शा ट्रेस की प्रति नकल प्राप्त करने हेतु कार्यालय हाजा के पत्रांक 1087 दिनांक 30.07.19 द्वारा सूचित कर दिया गया।

अपीलार्थी से उक्त सूचना जो कार्यालय में उपलब्ध है, की प्रतिलिपियों के लिए शुल्क 34800/– रूपये के कॉपिंग टिकिट की मांग की गयी जो जमा कराने पर सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी एवं 1947 के पूर्व का नक्शा ट्रेस की प्रति चाही गयी जो बहुत पुरानी होने से कार्यालय में ढूढंवाया गया किन्तु इस कार्यालय की भू–अभिलेख शाखा से सम्पर्क/पत्र व्यवहार कर नियमानुसार प्राप्त कर नियमानुसार प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 03 (ख) की सूचना

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

तैयार करने हेतु प्रार्थी को दिनांक व इस कार्यालय का पत्र क्रमांक स्पष्ट लिखे जाने हेतु सूचित किया गया यदि चाही गयी सूचना का दिनांक व इस कार्यालय का पत्र क्रमांक स्पष्ट लिखकर आवेदन करता हैं तो उपलब्ध करा दी जावेगी।

प्रार्थी के प्रथम अपील प्रार्थना पत्र व लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, राजसमन्द के द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना का शुल्क जमा करवाने हेतु लिखे जाने के उपरान्त भी शुल्क जमा नहीं करवाने से वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी जा सकी। यदि अपीलार्थी वांछित सूचना चाहता है तो लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमन्द के कार्यालय में निर्धारित देय वांछित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील में कोई कार्यवाही शेष नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द एवं तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)